



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर- 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comosc-सईदजोधपुरjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :-जो.वि.प्रा/17-18/58

दिनांक : 26.04.17

ई-निविदा सूचना सं. 07/17-18

कार्य का नाम :- जोधपुर विकास प्राधिकरण में कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संविदा पर आपूर्ति बाबत।

अनुमानित लागत :- 55.48 लाख रुपये

निविदा प्रपत्र शुल्क :- 1000/- डी.डी. नं. दिनांक

धरोहर राशि :- 1,10,960/- डी.डी. नं. दिनांक

पैन नम्बर

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक व समय
1.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	27.04.17, सुबह 12.00 बजे से
2.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	27.05.17, सांय 6.00 बजे तक
3.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	27.04.17, सुबह 12.00 बजे से
4.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	27.05.17, सांय 6.00 बजे तक
5.	निविदा शुल्क, धरोहर राशि की मूल प्रति जोन कार्यालय में जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	29.05.17, दोपहर 1.30 बजे तक
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	30.05.17, सुबह 11.00 बजे

निविदा हेतु दर निधारण :-

1.	ऑपरेटर हेतु न्यूनतम देय राशि	नियमानुसार देय
2.	पी.एफ.	नियमानुसार देय
3.	ई.एस.आई.	नियमानुसार देय
4.	सर्विस टैक्स (नियमानुसार देय)	नियमानुसार देय
5.	सर्विस चार्ज (संवेदक द्वारा दी जाने वाली दर)	प्रति कार्मिक प्रतिमाह रूपयो में (26 दिवस)

प्रति ऑरेटर (26 दिवस) की दर पर वांछित सेवा उपलब्ध करवाने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर

सेवा प्रदाता एजेन्सी (प्राधिकृत) मय मोहर

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. निविदा में जो प्रस्तावित कार्य की प्रकृति के व्यवहारों में कुशल/संलग्न हो रजिस्टर्ड सोसायटी/समिति /रजिस्टर्ड ठेकेदार/सप्लायर ही भाग ले सकते हैं।
2. प्रत्येक निविदादाता निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व निविदा की शर्तों का भलिभांति अध्ययन कर ले क्योंकि अनुबंध अवधि के दौरान इन शर्तों की पालना की जानी आवश्यक है।
3. यदि किसी निविदादाता को इन शर्तों के संबंध में किसी प्रकार की शंका हो तो निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व ऐसी शर्तों के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
4. किसी भी बिन्दु पर विवाद की दशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा जो निविदादाता/संविदाकार को मान्य होगा।
5. निविदादाता को निविदा प्रलेख के प्रत्येक पृष्ठ पर उसकी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे। निविदाएं दो कवर प्रणाली द्वारा प्रस्तुत की जावेगी जिनमें निम्न दस्तावेज व प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
6. कार्य की अनुमानित लागत राशि रु. 55.48 लाख होगी।

कवर 'अ' तकनीकी बिड ऑनलाईन किया जायेगा।

1. निविदा शुल्क 1000/- रु. व धरोहर राशि 1,11,000/- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम देय हो एवं प्रोसेसिंग फीस 1000/- रु. (MD RISL JAIPUR (RAJ.) के नाम से देय हो। उक्त डीडी/बैंकर चैक की हार्डकॉपी, रजि. सोसायटी कम्पनी, साझेदारी फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजना का पंजीकरण प्रमाण पत्र बंद लिफाफे में दिनांक 29.05.17 को मध्याह्न 1.30 बजे तक कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात प्रस्तुत दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. आवश्यक धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट
3. शर्तें व निर्देश (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर के)
4. स्टेटस का प्रमाण पत्र यथा रजि. सोसायटी, कम्पनी, साझेदारी फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि।
5. श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र।
6. कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजना का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
7. निविदादाता को किसी सरकारी विभाग/निगम/प्राधिकरण/सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था विगत 3 वित्तीय वर्षों में से किसी भी 1 वर्ष में इस प्रकार की कार्य का निविदा में रु. 27.50 लाख का संतोषप्रद कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा 40 कार्मिकों की सेवा आपूर्ति का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करे, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो।
8. फर्म का वार्षिक टर्नओवर वार्षिक रु. 55.48 लाख का होना आवश्यक है। सत्यापन के लिए फर्म के पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का वार्षिक लेखा जो सीए द्वारा अंकेक्षित हो प्रस्तुत करना आवश्यक है।

नोट :- उपरोक्त 1 से 8 तक के प्रमाण पत्र की प्रति ऑन लाईन अपलोड करना आवश्यक है अन्यथा तकनीकी बिड में अयोग्य मानते हुए संबंधित फर्म की वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।

कवर 'ब' वित्तीय बिड ऑनलाईन किया जायेगा।

1. वित्तीय बिड पूर्ण रूप से भरकर दरे अंको व शब्दों में प्रस्तुत की जायेगी। दरे प्रपत्र में वांछित अनुसार ही दी जानी होगी।
2. वित्तीय बिड में दरो में किसी भी प्रकार की कांटछांट /ओवर राइटिंग होने की दशा में अपने लघु हस्ताक्षर कर मोहर लगावे।
3. सशर्त निविदाये स्वीकार नहीं होगी।
4. वित्तीय बिड ऑन लाईन अपलोड करना आवश्यक है।

निविदा की अन्य शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
2. निविदा की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
3. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वंश यदि सम्पूर्ण नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
4. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि प्राधिकरण के जोन कार्यालय में निम्न विवरण अनुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व जरिये डिमांड, ड्राफ्ट/बैंकर चैक से ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/- 50 लाख से ऊपर 1000/-	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

5. प्रदत्त दरें निविदा खोलने की दिनांक से 70 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उक्त अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. निविदादाता को निविदा भरते समय साथ में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, ई-टेंडरिंग प्रोसेस शुल्क Enllistmet, Service Tax Registration, PAN प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार उपापन समिति का होगा।
8. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1(1)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्ट, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
9. नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जावेगा।
10. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रुपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 1000
11. ई-टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :-
 - इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देख/डाउनलोड कर सकते हैं।
 - निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट है। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।


- कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
12. निविदा में वर्णित कार्य का पूर्व अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
 13. निविदा के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट A से D बिन्दु के भाग हैं, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है।
 14. भुगतान यथा सम्भव मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किए जाने पर रेखांकित चैक/डी.डी. से किया जायेगा तथा वसूलिया यदि कोई है तो उन्हें प्रभावित किया जायेगा। भुगतान शाखा/प्रभारियों द्वारा उपस्थिति प्रमाण तथा सत्यापन के आधार पर होगा।
 15. ऑपरेटर की जांच प्रति माह प्रत्येक ऑपरेटर का सही कार्य करने का प्रमाण जोधपुर विकास प्राधिकरण के ए.सी.पी. (उपनिदेशक) द्वारा की जाने पर संवेदक को भुगतान कार्यवाही की जावेगी।
 16. सेवा प्रदाता फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 17. सफल सेवा प्रदाता को कार्य आदेश प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर करार पत्र निष्पादित करना होगा।
 18. जेडीए अपनी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर घटाने एवं बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।
 19. कम्प्यूटर ऑपरेटर की शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक, डिप्लोमा होना चाहिये और कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। सेवा प्रदाता प्रस्तावित कम्प्यूटर ऑपरेटर के नाम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं कार्य अनुभव को तालिका में प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात समिति द्वारा टेस्ट में पारित होने पर फर्म/संवेदक के कर्मचारी को कार्य पर रखा जायेगा।
 20. सभी प्रकार के विवाद के लिये न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। किसी विवाद की स्थिति में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 21. श्रम कानून के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत रखे जाने वाले समस्त रिकॉर्ड को सुरक्षित संधारित करने की सेवा प्रदाता एजेन्सी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। सेवा सेवाप्रदाता एजेन्सी को अपने कर्मचारियों के कार्य दिवस, कार्य, कार्य घण्टे दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना हर समय तैयार रखनी होगी तथा किसी भी प्राधिकारी के मांगे जाने पर तुरंत प्रस्तुत करनी होगी तथा श्रम नियमों की पालना का दायित्व एजेन्सी का होगा।
 22. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर श्रमिकों के हितों में किये जाने वाले प्रावधानों की पालना करने का दायित्व सेवा एजेन्सी का होगा।
 23. कार्य प्रारम्भ से पूर्व सेवाप्रदाता (निविदादाता) द्वारा सेवाओं के लिए वांछित पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों पर जोधपुर विकास प्राधिकरण प्रभारी अधिकारी द्वारा सहमति दी जायेगी। संभावित पदों एवं उसके लिए देय मानदेय तथा योग्यता प्रस्तावित है जिन्हे सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध स्वीकृतियों के तहत कम या ज्यादा किया जा सकता है।
 24. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा अवयस्क व्यक्तियों एवं विधि द्वारा आयोग्य घोषित व्यक्तियों को जोब कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
 25. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मियों का चाल-चलन अच्छा होना चाहिये एवं उनके कार्य/चरित्र के संबंध में सेवाप्रदाता (निविदादाता) पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्च पर पहचान-पत्र (आई.डी.) देना होगा, जिससे जोधपुर विकास प्राधिकरण को सेवाकर्मियों के बारे में ज्ञान रहे।
 26. सेवा प्रदाता एजेन्सी को आवंटित कार्यों में से कोई भी कार्य समय पर न करने पर कार्य बाजार से या अन्य व्यक्ति से करवा लिया जावेगा और इस प्रकार के कार्य पर हुई वास्तविक व्यय राशि सेवा एजेन्सी के भुगतान में काट ली जावेगी।
 27. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा नियोजित किये गये कर्मचारियों द्वारा 240 दिवस पूर्व कर लिये जाने के पश्चात किसी कर्मकार को हटाये जाने या कार्यमुक्त कर दिये जाने की स्थिति में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस या नोटिस वेतन तथा छंटनी मुआवजा देने का दायित्व संबंधित एजेन्सी का होगा।
 28. आपूर्ति किये गये सभी कार्मिक निविदादाता के पे-रोल पर होंगे तथा राज्य सरकार/डी.एच.एस. में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जिसकी जानकारी निविदादाता को सभी कार्मिकों को देनी होगी।

29. वर्तमान में 46 कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये लिया जाना प्रस्तावित है, परन्तु प्रस्तावित संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अतः दरे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर दी जावे एवं कार्य में वृद्धि होने पर इन दरों एवं शर्तों/उपबन्धों पर अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करने हेतु निविदादाता बाध्य होगा।
30. अनुबंध अवधि के दौरान निविदाकार को अपने श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान करने एवं केन्द्रीय सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी श्रम अधिनियम नियमों तथा ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. इत्यादि के लिये देय लाभों की प्रावधानों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा इस प्रयोजन के लिये कार्यालय/राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। अतः इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निविदादाता अपने दरें प्रस्तुत करे। अनुबंधकर्ता को प्रत्येक माह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान किया गया है तथा ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. के नियमों की पालना की गई है एवं साथ ही गत माह से संबंधित पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा के चालान मय कार्मिकवार सूचियों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
31. अनुबंधकर्ता द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों को मासिक भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करना होगा एवं इसके लिये अलग से बैंक खाता संधारित करना होगा। जो कि केवल इस अनुबंध की राशि संधारण के लिये ही होगा। उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों को उक्त खातादारी बैंक में बचत खाता की गई राशि अनुबंधकर्ता के इस खाते में प्रोसेस होगी एवं संबंधित कार्मिक के खाते में नियमानुसार राशि स्थानान्तरित की जायेगी, जिसका प्राधिकार पत्र अनुबंधकर्ता द्वारा प्रतिमाह जारी किया जायेगा तथा जिसकी एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही ई.एस.आई., पी.एफ. एवं सर्विस टैक्स इत्यादि की राशि भी इसी खाते से भुगतान की जायेगी एवं बैंक खाते का स्टेटमेंट आगामी 15 तारीख से पूर्व प्राधिकरण में जमा करना अनिवार्य होगा। ताकि चुकाये गये पारिश्रमिक एवं जमा करवायी ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा सर्विस टैक्स राशि का प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किया जा सके। इसके अभाव में अनुबंधकर्ता दोषी होगा तथा बार-बार चूक रहने पर अनुबंध निरस्त की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।
32. दरें समस्त दरों एवं करों सहित प्रस्तुत की जायेगी। करों के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
33. प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कार्मिकों, कम्प्यूटर ऑपरेटर को सेवा में लेने से पूर्व एक प्राथमिक स्क्रिनिंग टेस्ट प्राधिकरण आई.टी. विंग/एन.आई.सी. के द्वारा आयोजित करवाया जायेगा एवं इस टेस्ट सफल प्रत्याशियों का पैन्ल बनया जायेगा एवं इन्ही सफल प्रतियोगियों से ही सेवाएं प्राधिकरण द्वारा ली जायेगी। अतः सफल फर्म द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने के तुरंत बाद मांग संख्या के दुगना कम्प्यूटर ऑपरेटर की सूचना उपलब्ध करानी होगी।
34. जिन कार्मिकों की सेवा ली जानी है, उन कार्मिकों को फर्म के नाम सहित अपने नाम को बेज अथवा आई.डी. कार्ड अनिवार्य रूप से सेवा अवधि में धारित करना होगा।
35. सफल निविदादाता को निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे।
36. सफल निविदादाता को निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर ऑपरेटर का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, पीजीडीसीए, बीसीए, ओ-लेवल, डिप्लोमा एवं आदि संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपी प्राधिकरण में जमा करवानी होगी। इसके अभाव में बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होगा।
37. कम्प्यूटर ऑपरेटर बदले जाने की स्थिति में प्राधिकरण को सूचित करना होगा तथा नवीन कार्मिकों के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित उक्त समय प्रमाण पत्रों की प्रतियां पुनः प्रस्तुत करनी होगी तथा ऐसा कार्मिक संवीक्षा (स्क्रीनिंग) टेस्ट के बाद ही स्वीकार्य होगा।
38. प्राधिकरण को प्रस्तुत सूची में उल्लेखित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति पाये जाने पर निविदादाता दोषी होगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
39. प्रतिभूति (सुरक्षा) राशि कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत जमा करवानी होगी तथा इसका संदेय नियमानुसार अनुबंध समाप्ति के बाद किया जायेगा।
40. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत ऑफर के प्रत्येक पेज पर स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे।
41. प्रस्तावित दरों में सेवा शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों के भुगतान विधिक रूप से कार्मिक/विभाग को देय है, मात्र सेवा शुल्क ही संवेदक का लाभ होगा। अतः सेवा शुल्क की दरों का प्रस्ताव अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

42. प्रत्येक माह सर्विस टेक्स, पी.एफ. तथा ई.एस.आई. के चालान की प्रतियां मय कार्मिको के खाता संख्या तथा नाम अंकित हो भुगतान के सत्यापन हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
43. वित्तीय प्रस्ताव की दर श्रम कानून के तहत 26 दिवस के आधार पर है, परन्तु वास्तविक भुगतान निष्पादित कार्य दिवसों/उपस्थिति के आधार पर देय होगा। न्यूनतम कार्य दिवसों/घंटा के अतिरिक्त कार्य का भुगतान विशेष सक्षम स्वीकृति उपरांत ही अलग से किया जायेगा।
44. राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू अन्य कोई कर यदि होतो उनकी कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
45. प्रत्येक माह सेवादाता एजेन्सी द्वारा कार्मिको के बैंक खातों में देय पारिश्रमिक राशि जमा करवाकर सूची संलग्न करनी होगी, ताकि भुगतान का सत्यापन हो सके।
46. कार्य की मात्रा/अवधि में नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है। जिसके लिए संवेदक बाध्य होगा।
47. RTPP Act 2012/Rule 2013 के प्रावधान लागू होंगे।



अधिशायी अभियंता (मुख्यालय),
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर


प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर ऑपरेटर),
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

उपरोक्त निविदा की महत्वपूर्ण शर्तों/निविदा की अन्य शर्तों एवं RTPP Act 2012/Rule 2013 से हमारी एजेन्सी सहमत है।

हस्ताक्षर

सेवा प्रदाता एजेन्सी
(मय मोहर)

JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JODHPUR

BASED ON Notification of Labour Departement Raj. 2328 Date 07.02.

Financial Bid

Name of work : Supply of Computer Operators on Contract basis for year 2017-18

S.No.	Item	Qty.	Rate In Rs.	Unit	Total Amou (3x4x5) 6
1	Supply of Computer Operators on Contract basis for year 2017-18 (Rate @ 7202/- per Operators Maximum 46 Operators) Employee Providend Fund (13.36% on Rs. 7202/-), Employee State Insurance (4.75% on Rs. 7202/-), Service Tax (15%) (Service Tax Shall be applicable on Pay+PF+ESIC+Service Charges) (Bidder Should fill per operators rate of service charge in cloumn 4 & 6 with amount in words also)	One Operators (For 26 Days)	Service Charge Only in Rs.....	46 (Operators)	

हस्ताक्षर (मय मोहर)

सेवा प्रदाता एजेन्सी